झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 36 रा० (विभाग)

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0नि0–II–उ0यो0–36/2016–17/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 04/03/2020

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत उपबंधित राशि के तहत् कुल मो0 353.25 लाख (तीन करोड़ तिरपन लाख पच्चीस हजार) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय अंतर्गत मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना की कुल संशोधित उपबंधित राशि मो0 360.00 लाख रू0 मात्र के अधीन कुल मो0 353.25 लाख (तीन करोड़ तिरपन लाख पच्चीस हजार) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की ~~गई~~ जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मत्स्य स्पॉन के उत्पादन के लिए ग्रामीणों को फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी संचालन कार्य में प्रशिक्षित कर हैचरी का संचालन कराना है। साथ ही साथ पोर्टेबल हैचरी का अधिष्ठापन कर राज्य में मत्स्य स्पॉन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इन पोर्टेबल हैचरियों का अधिष्ठापन जलाशयों/बड़े जलकरों के समीप उपयुक्त स्थलों पर कराया जाएगा ताकि पानी की कमी नहीं रहे। इस योजना से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 26 फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी की स्थापना, चालू वित्तीय वर्ष में कराई जाएगी।

2. राशि का अनुमानित व्यय निम्न बजट शीर्षों में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :-

मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय (राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-73-मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53 S 440500101730545**	400.00	180.00	176.625
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-73-मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53 S 440500796730545**	400.00	180.00	176.625
	कुल योग :	**800.00**	**360.00**	**353.250**

मो0 353.25 लाख (तीन करोड़ तिरपन लाख पच्चीस हजार) रू0 मात्र।

P2

3. जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति अथवा लाभुक समूह के साथ वार्ता कर स्थल का चयन किया जाएगा। चयनित लाभुक समूह की सूची पर संबंधित जिला के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान कतिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. हैचरी का निर्माण प्रमुखतः ऐसे स्थलों पर किया जाएगा जो जलाशयों/बड़े जलकरों के नजदीक हों तथा पर्याप्त पानी की सुविधा हो --

4.1 बोरिंग से हैचरी संचालन में कठिनाई तथा पानी की कमी एवं जलकरों के पास जमीन की कमी के कारण आर0सी0सी0 हैचरी के स्थान पर फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी की स्थापना का विकल्प लिया गया है।

4.2 फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति/स्थानीय यूजर ग्रुप के लिए उपयुक्त है। यूजर ग्रुप अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को हैचरी संचालक के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना है।

4.3 क्लस्टर एप्रोच के तहत् पूर्व से निर्मित हैचरी के पास स्थल उपलब्धता के आधार पर नई हैचरी दी जा सकती है।

5. इस योजना अन्तर्गत जलाशय तथा तालाबों के पास फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। तालाबों के पास हैचरी के लिए डीप बोरिंग की आवश्यकता होगी। इस प्रकार दोनों स्थलों के लिए इकाई लागत स्वरूप आवश्यक राशि की गणना निम्न विवरणी में अंकित है -

(राशि रू0 में)

क0	हैचरी कॉम्पोनेन्ट	जलाशयों के पास	तालाबों के पास
1	वाटर टैंक - 35000 लीटर क्षमता	मो0 7,93,400/-	मो0 7,93,400/-
2	ब्रीडिंग एवं हैचिंग पूल - 4		
3	ब्रीडिंग एवं हैचिंग पूल हेतु प्लेटफॉर्म - 4		
4	शेल्टर हॉउस-सह-स्टोर रूम - 1	मो0 2,76,200/-	मो0 2,76,200/-
5	डीप बोरिंग कार्य - 1	–	मो0 3,51,100/-
6	जलापूर्ति हेतु पम्पसेट, पाईप इत्यादि	मो0 1,00,000/-	मो0 1,00,000/-
	कुल	**मो0 11,69,600/-**	**मो0 15,20,700/-**

उपर्युक्त क्रमांक 1, 2, 3 तथा 4 के योजना का मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसपर जिला अभियंता, जिला परिषद, राँची की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 07.03.2018 को प्रदत्त है। क्रमांक 5 पर अंकित डीप बोरिंग के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 22.02.2016 को प्रदत्त है।

6. (i) एक हैचरी संचालन हेतु 5-6 व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होगी जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। एक हैचरी से सामान्यतः प्रतिवर्ष 3-4 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन संभावित है। इससे मत्स्य कृषकों को स्वस्थ स्पॉन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। मत्स्य स्पॉन हेतु प0 बंगाल पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

(ii) हैचरी के फैब्रिकेशन स्थल पर कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समिति अथवा यूजर ग्रुप के लिए राज्य स्तर से **Empanelled Agency** से कराया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी, मत्स्यजीवी सहयोग समिति/लाभुक समूह के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करा देंगे।

7. योजना के अन्तर्गत फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी निर्माण की गुणवत्ता मॉडल प्राक्कलन के अनुरुप कराना संबन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

8. (क) इस योजना अन्तर्गत संपूर्ण राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय होगी एवं इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो राज्यादेश के परिशिष्ट-1 में अंकित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

(ख) दिनांक 27.06.2018 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक के आलोक में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0-134/18 राँची, दिनांक 03.07.2018 द्वारा निर्गत है की शर्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी वास्तविक खर्च के आधार पर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(ग) संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि चरणबद्ध रूप से लाभुक द्वारा कराए गए कार्यों के विरूद्ध विपत्र प्राप्त करते हुए राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी को करेगें। अग्रिम भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा।

9. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

10. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत बजट मो0 800.00 लाख में से मो0 783.949 लाख रू0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

11. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

12. यह एक चालू राज्य योजना है।

13. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

16. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 36रा०(विभाग) मत्स्य / राँची , दिनांक 04/03/2020

प्रतिलिपिः- सभी कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/20

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 36रा०(विभाग) मत्स्य / राँची , दिनांक 04/03/2020

प्रतिलिपिः- योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची /विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/20

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 36रा०(विभाग) मत्स्य / राँची , दिनांक 04/03/2020

प्रतिलिपि माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/20

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य शीर्ष 4405–मछली–पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष –73–मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना अन्तर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (रू0 में)

क0	जिला का नाम	लघु शीर्ष –101– अन्तर्देशीय मछली पालन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य					लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य					कुल भौतिक	कुल वित्तीय
		भौतिक (जलाशय के समीप)	वित्तीय (जलाशय के समीप)	भौतिक (तालाब के समीप)	वित्तीय (तालाब के समीप)	कुल वित्तीय	भौतिक (जलाशय के समीप)	वित्तीय (जलाशय के समीप)	भौतिक (तालाब के समीप)	वित्तीय (तालाब के समीप)	कुल वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राँची	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00	1	1520700.00	2690300.00	2	2690300.00
2	खूंटी	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	1	1520700.00
3	गुमला	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	1	1520700.00
4	सिमडेगा	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00	0	0.00	1169600.00	1	1169600.00
5	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	1	1520700.00
6	पलामू	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1520700.00
7	लातेहार	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
8	गढ़वा	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1520700.00
9	पूर्वी सिंहभूम	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	1	1520700.00
10	पश्चिमी सिंहभूम	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00	0	0.00	1169600.00	1	1169600.00
11	सरायकेला	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00	0	0.00	1169600.00	1	1169600.00
12	हजारीबाग	2	2339200.00	0	0.00	2339200.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	2339200.00
13	रामगढ़	1	1169600.00	0	0.00	1169600.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00
14	कोडरमा	1	1169600.00	0	0.00	1169600.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00
15	बोकारो	1	1169600.00	1	1520700.00	2690300.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	2690300.00
16	धनबाद	1	1169600.00	1	1520700.00	2690300.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	2690300.00
17	गिरिडीह	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1520700.00
18	चतरा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
19	देवघर	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1520700.00
20	दुमका	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00	0	0.00	1169600.00	1	1169600.00
21	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	1	1520700.00
22	पाकुड़	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1169600.00	0	0.00	1169600.00	1	1169600.00
23	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	1	1520700.00
24	गोड्डा	0	0.00	1	1520700.00	1520700.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	1520700.00
	योग :	**6**	**7017600.00**	**7**	**10644900.00**	**17662500.00**	**6**	**7017600.00**	**7**	**10644900.00**	**17662500.00**	**26**	**35325000.00**

3/3/20

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव